162/2020
2020/00047

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद

बइजलासः अंजना सहरावत आर,ए,एस

दिनांकः– 17/9/20

मिसल नम्बर

जगदीश प्रसाद उम्र 56 वर्ष पुत्र राजमल जाति महाजन निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

– वादी–

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

उपस्थिति – वादी की ओर से :– श्री अशोक कुमार जैन एडवोकेट सांगोद

प्रतिवादी की ओर से :– पैरोकार सरकार।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

–:: निर्णय ::–

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने इस न्यायालय मे एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया, कि ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 50 के खसरा न0 997 की 2.19हेक्टर कृशि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार वादी व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खाते व कब्जे मे है, उक्त कृशि भूमि वादी व अन्य सहखातेदारान को उनके पिता श्री राजमल के स्वर्गवास के उपरान्त प्राप्त हुई है, उक्त भूमि मे वादी व अन्य सहखातेदारान राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अपने हिस्से अनुरूप मौके पर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है, वादी ने आगे कथन किया, कि दिनांक 13.6.2019 को अपनी उक्त कृषि भूमि मे विकास कार्य करने हेतु बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए उसने जमाबंदी की नकल प्राप्त की, तो उसने पाया कि उसकी उक्त कृषि भूमि से संबंधित जमाबंदी की नकल मे उसका नाम जगदीश चन्द पुत्र राजमल दर्ज हो रहा है, जिस पर बैंक के शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क करने पर उन्होने बताया, कि आपकी कृषि भूमि मे आपका नाम जगदीश चन्द पुत्र राजमल अंकित है, जबकि आपके मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि मे आपका नाम जगदीश प्रसाद दर्ज है, ऐसी स्थिति मे हम आपको ऋण सुविधा नही दे सकते है,

उपखण्ड अधिकारी
जिला कोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 09:58:34 IST
Reason: SelfAttested

...कारी मिलने पर वादी ने हलका पटवारी जी से सम्पर्क कर कहा, कि हमने ...हुलवाने के लिए जो दरख्वास्त पेश की थी, उसमे मेरा नाम जगदीश प्रसाद ही ...रवाया था, आपने जगदीश चन्द कैसे कर दिया, इस पर उन्होने कहा, कि मै अब ...ले मे कुछ नही कर सकता हूँ, आपको कार्यवाही करनी पडेगी। इसलिए वादी ने ...न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सहायता चाही, कि राजस्व रेकार्ड मे उसका नाम ...श चन्द के स्थान पर जगदीश प्रसाद दर्ज किया जावे।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद को दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रकरण मे प्रतिवादी को सूचना हो चुकी है, उक्त प्रकरण मे हमने पत्रावली का व ...ग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, बहस वादी सुनी गई, अपनी बहस मे ...कील वादी ने वाद पत्र मे वर्णित कथनो को दौहराते हुए संलग्न दस्तावेजात के आधार ...र वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से हमने यह पाया, कि पत्रावली मे जो दस्तावेज उपलब्ध है, उससे यह प्रतीत होता है, कि वास्तव मे वादी का नाम जगदीश प्रसाद है, जबकि राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम जगदीश चन्द दर्ज कर दिया गया है, जो कि हमारी विनम्र राय मे सही नही है, हम वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाते है, जो कि स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि वादी व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खाते व कब्जे की कि ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 50 के खसरा न0 997 की 2.19 हेक्टर कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड मे दर्ज वादी के नाम जगदीश चन्द पुत्र राजमल के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र राजमल दर्ज किये जाने ... आदेश दिये जाते है। इसके अनुक्रम में उक्त कृषि भूमियो से सम्बन्धित राजस्व ... दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। नियमानुसार डिक्री परजा पृथक से ...

निर्णय आज दिनांक 17/9/20 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

...अधिकारी

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद
सांगोद जिला कोटा

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 09:38:34 IST
Reason: SelfAttested